2554

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2016 **Dated Shimla-171002, the** 01-08-2016

Order

Sub :- Diversion of 2.21 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Kiri-Banjal (Km. 0/00 to 3/00), within the jurisdiction of Chamba Forest Division District Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB 623/2012-CHA/341** दिनांक **18-05-2016** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.21** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात् 4.42 हे0 अथवा 4.50 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

3 सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढ़ोत्तरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलवा निस्तारण स्थल का उचित रूप से Reclamation कर दिया जाए।

5 मलवे का प्रयोग स्थानीय रूप से पुख्ता दीवार (Retaining Wall) के पीछे गढ्ढों को भरने/ ढलानों के सुधार के लिए किया जाए। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जाएगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

6 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

8 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी /पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

12 वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जिलाकलेक्ट्रेट की मोहर नहीं लगी है, राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का आदेश जारी करने के पहले मुहर लगा हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Contd./2

13 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2016** Dated, Shimla-171001 the,..01-08-2016

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun-248006.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The CCF(FCA)-cum-Nodal Officer O/o HPFD,HQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh .
6. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba, H.P.
7. Executive Engineer/Asstt. Engineer, HPPWD Chamba, Distt. Chamba HP.
8. Guard File.

30-7-2016
(Sat Pal Dhiman) 1-8-2016
Deputy Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S/FCA
1/8

2101
2/8/16

Endst. No. Ft.48-2554/2012(FCA) 6 AUG 2016
Dated the, Shimla-1

IT Lab.

Copy is forwarded to CCF (IT) for information and further necessary action. It is requested that formal order as issued by Principal Secretary (Forests) to GoHP may be uploaded on the Web Site of Forest Department please.

Nodal Officer-cum-CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1.